कैबिनेट फैसले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अध्यादेश-2025 को दी मंजूरी, छोटी गलतियों पर जुर्माना बढ़ा

व्यापार होगा आसान, खत्म हुआ जेल का प्रावधान

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

मानकों से ज्यादा भूजल दोहन, कर्मचारी के वेतन भुगतान में देरी, पेड़ के अवैध कटान जैसी छोटी-छोटी गलतियों के लिए अब उद्यमियों को जेल नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के उद्यमियों को बेहतर कारोबारी माहौल देने के लिए यूपी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अध्यादेश-2025 को मंजूरी दे दी। अध्यादेश के जरिए छोटे-छोटे मामलों में जेल की सजा के प्रावधान को खत्म कर आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई में बदल दिया गया है। इस बदलाव से कारोबारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। इंडस्ट्री विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उद्योग और व्यापार से जुड़े 10 राज्य अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे।

7 अगस्त को NBT ने प्रकाशित की थी खबर।

इन अधिनियमों में बदलाव : अध्यादेश के तहत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, गन्ना अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम और पंचायत अधिनियम जैसे कई कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध करवाने जैसे कदम शामिल हैं। अध्यादेश के जरिए जहां कई मामलों में सजा के प्रावधान को खत्म किया गया है, वहीं पेनल्टी को बढ़ाया गया है। अलग-अलग मामलों में नियमों के उल्लंघन पर 10,000 से 20 लाख रुपये तक की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।

समूह 'क' के पदों पर सीधी भर्ती को स्क्रीनिंग परीक्षा भी

सरकार ने साक्षात्कार के माध्यम से समूह 'क' के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा करवाने का फैसला किया है। स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और साक्षात्कार के 25% अंक जोड़कर परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई।

▶▶अन्य फैसले देखें : पेज 2